दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाये जाने के संबंध में बैठक 14 जुलाई को

रायगढ। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2020 मनाये जाने के संबंध में 14 जुलाई 2020 को समय-सीमा बैठक बाद दोपहर 1.30 बजे से सृजन सभाकक्ष में आहूत की गई है।

जिले में 344.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 10 जुलाई तक 344.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 2.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 249.4 मिली मीटर, पुसौर में 336.3, खरसिया में 210.2, सारंगढ़ में 461.6, बरमकेला में 347.5, घरघोड़ा में 339.5, तमनार में 314.5, लैलूंगा में 501.8 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 336.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू

रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में जिले में गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा दिनांक 08 से 21 जुलाई 2020 तक मनाया जा रहा है। पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य जन-जागरूकता, ओ.आर.एस की जानकारी, डायरिया से पीड़ित बच्चों में गंभीर लक्षणों की पहचान कर अस्पताल रेफरल हेतु प्रोत्साहित करना एवं उपचार प्रबंधन कर 0-5 वर्ष शिशु मृत्यु को शून्य करना बताया है। जिले के समस्त विकासखण्ड एवं शहरी क्षेत्र में डायरिया नियंत्रण गतिविधियां आयोजित किया जायेगा। जिसके तहत मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर भेंट कर 0-5 वर्ष के सभी बच्चों को चिन्हांकित कर ओ.आर.एस. पैकेट एवं दस्त होने पर जिंक की गोली वितरित किये जायेंगे। जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.आर.टी. कार्नर स्थापित किये गये हैं, जिसमें निःशुल्क ओ.आर.एस. एवं जिंक की गोली वितरित की जायेगी एवं जिले के समस्त विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्र में शिशु पोषण एवं आहार-व्यवहार से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जायेगी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों द्वारा घर-घर भेंट कर 0-5 वर्ष के बच्चों को चिन्हांकित कर शिशु पोषण एवं आहार व्यवहार के संबंध में जानकारी दी जायेगी तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचार हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 15 जुलाई तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ। कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लैलूंगा जिला-रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु कार्यकर्ता/सहायिका की भर्ती हेतु 9 जुलाई 2020 तक दावा-आपत्ति मंगाये गये थे। लैलूंगा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्वारेंटीन सेंटर होने एवं कोरोना से प्रभावित होने के कारण पूर्व में निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुए अब 15 जुलाई 2020 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऋण हेतु 22 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय रायगढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिये ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 22 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुये है। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ट्रेक्टर ट्राली योजना में लक्ष्य-01 (इकाई लागत 9.08 लाख रु.), पैसेंजर व्हीकल योजना लक्ष्य-01 (इकाई लागत 6.626 लाख रु.), गुड्स कैरियर योजना लक्ष्य-1 (इकाई लागत 6.253 लाख रु.), स्माल बिजनेस योजना लक्ष्य-2 (इकाई लागत 1 लाख रु.), स्माल बिजनेस योजना लक्ष्य-2 (इकाई लागत 2 लाख रु.), स्माल बिजनेस योजना लक्ष्य-3 (इकाई लागत 3 लाख रु.), आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना लक्ष्य-01 (इकाई लागत 1 लाख रु.)तथा बैटरी ऑपरेटर ई-रिक्शा लक्ष्य-1 (इकाई लागत 2.155 लाख रु.) की योजना शामिल है।

कलेक्टर ने की सीएसआर राशि से कराये जाने वाले कार्यो के प्रगति की समीक्षा

स्थानीय उद्योग प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करावे-कलेक्टर श्री भीम सिंह

न्यायसाक्षी / रायगढ़।

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में रायगढ़ जिले में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर सीएसआर राशि से कराये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड में प्राप्त राशि से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित गांवों में स्कूल भवन, अस्पताल भवन, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुलभूत सुविधाओं को विकास किया जाता है। कलेक्टर श्री सिह ने औद्योगिक प्रतिनिधियों से कहा कि आपके इकाइयों की ओर से नियमानुसार उल्लेखित राशि बकाया है उसे शीघ्र जमा करावे तथा इकाईयों द्वारा जो भी विकास कार्य स्थानीय स्तर पर कराये जाते है, ऐसे कार्यों की जानकारी जिला प्रशासन के पास प्रस्तावित करें एवं स्थानीय

जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके क्षेत्रों में सुझाये गये कार्यों की जानकारी भी प्राथमिकता से प्रशासन को उपलब्ध करावे। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की ओर से उद्योग स्थापित करने और उसके संचालन में पूर्ण सहयोग करते हुये सभी आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध करायी गई है इसलिए जिला

प्रशासन द्वारा जो भी सूचना मांगी जाये उसको निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य के बाहर से जो श्रमिक अपने क्षेत्र में वापस आये है उनमें से अधिकांश की क्वारेंटीन अवधि पूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता की सूची में है और प्रवासी श्रमिकों में बहुत से अच्छे कार्यों का अनुभव रखते है अतः इन व्यक्तियों को उनके कार्यानुभवों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने उद्योगों के प्रतिनिधियों को यह भी निर्देशित किया कि उद्योगों में बहुत से कार्य ठेका पद्धति और आउट सोर्सिंग से कराये जाते है, उन कार्यों में प्रवासी श्रमिकों एवं स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाये। उन्होंने जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र को प्रत्येक 3 औद्योगिक इकाईयों के लिए एक-एक अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलबध कराने का कार्य करेंगे तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट से प्रशासन को अवगत करायेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये तीन स्थानों तमनार/पूंजीपथरा में 13 जुलाई, घरघोड़ा में 15 जुलाई तथा रायगढ़ में 17 जुलाई को रोजगार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिला रोजगार अधिकारी तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा कॉआर्डिनेशन से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

कलेक्टर रोकथाम के लिय उद्योग प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील करते हुए भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनिवार्यतः पालन करने के निर्देश दिये।

ऋणी व अऋणी कृषक उद्यानिकी फसलों के लिये कराये बीमा

न्यायसाक्षी / रायगढ़।

सहायक संचालक उद्यान ने जिले के समस्त उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों को सूचित करते हुए कहा कि टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक में खरीफ वर्ष 2020-21 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई है। जिले के ऋणी व अऋणी कृषक 15 जुलाई 2020 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है, इसके लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री अनुपम श्रेय मोबा.नं.7756005596 एवं श्री संदीप डे मोबा.नं.7611120151 से संपर्क कर सकते है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार)जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा चयन (ह्श्वह्ल-ह्लह्ल)प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। खरीफ मौसम अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख रुपये एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह बैगन के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 3500 रुपये, अमरूद के लिए बीमित राशि 40 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 2 हजार रुपये, केला के लिए बीमित राशि 01 लाख 50 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपये, पपीता के लिए बीमित राशि 01 लाख 10 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 5 हजार 500 रुपये, मिर्च के लिए बीमित राशि 80 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 4 हजार रुपये तथा अदरक के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख 30 हजार रुपये तथा कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 6 हजार 500 रुपये निर्धारित है।

किसानों को विपरित मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधिक प्रकोप के अनुकूल मौसम, वायु गति से फसलों को होने वाली क्षति से फसल बीमा का लाभ प्राप्त होगा। स्थानीय आपदा के तहत खरीफ मौसम के केला, पपीता एवं मिर्च फसल हेतु ओलावृष्टि से बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा तथा ओला वृष्टि/चक्रवाती हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था एवं विभाग 48 घंटे के भीतर कृषकों को प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 41 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता है। कृषक द्वारा लगाये गये फसल का केवल एक बार ही बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न

न्यायसाक्षी / रायगढ़।

महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास के संबंध में आज जनपद पंचायत पुसौर के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत चबूतरा निर्माण, 100 दिवस पूर्ण करने वाले मजदूर, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, जॉबकार्ड डिलिट की संख्या, रिजेक्ट एफटीओ का पुनः एफटीओ तैयार करना, मजदूरों की खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आधार संख्या तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों पर प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत तृतीय किश्त प्राप्त हितग्राही के आवासों को 20 जुलाई तक 100 प्रतिशत पूर्ण करना, 2019-20 के प्रथम किश्त प्राप्त हितग्राहियों का द्वितीय किश्त प्राप्त हितग्राहियों का द्वितीय किश्त के लिए जियो टैग पूर्ण करना, 2020-21 के लक्ष्य के पंजीयन और जियो टैग तथा सभी ग्रामीण रोजगार सहायक को मस्टर रोल में आने वाले टारगेट में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतने हेतु चेतावनी दी गई।

इस अवसर पर सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा) श्री राजेश शर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी (प्रधानमंत्री आवास) श्री उचित राम पटेल, श्री अभिषेक दाण्डेकर प्रोग्रामर (मनरेगा), हरिशंकर पटेल समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास), श्री नितेश उपाध्याय (मु.का.अधि.),वर्षा वर्मा कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, समस्त तकनीकी सहायक, समस्त बीएफटी एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित थे।

नरवा संवर्धन से भूजल बढ़ने के साथ किसानों की बढ़ी आय

लॉकडाउन में किसान प्रफुल्ल भोय ने सब्जियां बेच कमाये डेढ़ लाख रुपये, मनरेगा से बने जीरानाले में बारिश के मौसम के बाद भी रहता है पानी

न्यायसाक्षी । रायगढ़

मनरेगा अंतर्गत किये जा रहे नरवा संवर्धन के कार्यो ने मजदूरों और किसानों की जिंदगी के अलावा गांव के प्राकृतिक संसाधनों को भी बेहतर बनाया है। पहले बरसात के मौसम में ही बहता दिखाई देने वाला जीरानाला, अब जल संवर्धन के कार्यों से बारिश के पहले और बाद में भी जीवंत दिखाई दे रहा है। रायगढ़ जिले के डूमरपाली गांव में बहने वाले जीरानाले में महात्मा गांधी नरेगा से सात नग बोल्डर चेक डेम का निर्माण करवाया गया है। साल 2019 में बरसात के बाद, यहां रूके पानी से आसपास की जमीन हरी-भरी हो गई। गांव के लगभग 60 से 70 किसानों ने नाले से लगे अपने खेतों में धान के अलावा सब्जियों का भरपूर उत्पादन लिया, इससे उन्हें अच्छी-खासी आमदनी हुई। जीरानाला में बने छोटे-छोटे बोल्डर चेक डेमों ने किसानों की जिंदगी को खुशहाल कर दिया है।

जिले के बरमकेला विकासखण्ड की डूमरपाली ग्राम पंचायत में दिखाई दे रही इस हरियाली और खुशहाली के पीछे शासन के द्वारा नरवा संवर्धन के लिये किये जा रहे प्रयास और ग्रामीणों की मेहनत है। साल 2019-20 में इस गांव में बहने वाले जीरानाले में भूमि क्षरण को रोकने एवं संग्रहित जल के जरिये भू-जल भंडारण के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा के तहत जल संवर्धन का कार्य कराया था। इसके अंतर्गत 77 हजार 136 रुपये की लागत से नाले पर अलग-अलग स्थानों में 7 बोल्डर चेक डेम का निर्माण कराया गया। यहां 20 महिलाओं और 33 पुरूषों को मिलाकर, कुल 53 ग्रामीणों को 317 मानव दिवस का रोजगार महात्मा गांधी नरेगा से मिला।

डूमरपाली गांव के जीरानाले में महात्मा गांधी नरेगा योजना से हुए इस जल संवर्धन के काम ने बड़ा असर डाला है। इसमें 33 ग्रामीण परिवारों को सीधे रोजगार मिला। नाले में अलग-अलग चिन्हांकित जगहों पर बोल्डर चेक डेम बनाने से नाले में अधिक समय तक पानी रूका, जिसका उपयोग नाले से लगी कृषि भूमि के किसानों ने अपनी खेती-बाड़ी में किया। इस कार्य से गांव 62 किसानों की लगभग 75 एकड़ कृषि भूमि सिंचित हुई है। जीरानाले में पानी रूकने से रिसन के माध्यम से भू-जल भंडारण में वृद्धि हुई है। इसका प्रभव नाले से लगे किसानों की खेती-जमीन में खुदे 12 नल कूपों में साफ देखा जा सकता है। बोल्डर चेक डेम बनने के पूर्व मई-जून महीने में इन नल कूप में जल स्तर 400 से 500 फीट नीचे चला जाता था, जो आज 150 से 250 फिट पर आ गया है। भू-जल स्तर बढने से आसपास हरियाली भी बढ़ गई है।

जीरानाले में हुये जल संवर्धन के कार्य से लाभान्वित किसान श्री प्रफुल्ल भोये बताते है कि नाले से लगकर उनकी 2.1 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें उन्होंने नाले के पानी से बरबट्टी, बैंगन, करेला, मिर्च और तोरई सब्जियों की पैदावार ली। इस साल, जिसमें लॉकडाउन की अवधि भी शामिल है, इन सब्जियों को बेचने से उन्हें लगभग डेढ़ लाख रुपये की आमदनी हुई। उन्होंने बोल्डर चेक डेम निर्माण में 6 दिन कार्य किया था, जिससे उन्हें 1056 रुपये की मजदूरी प्राप्त हुई। श्री प्रफु ल्ल के खेत के नजदीक श्री प्रमोद भोये, श्री रिबे साहू, श्री नातोकुमार खमारी और श्री हेमराज भोई भी ऐसे ही किसान है, जिन्होंने नाले से लगी अपनी कृषि भूमि पर इस साल सब्जियों का उत्पादन लेकर लाभ कमाया। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत हुये नरवा संवर्धन के इस कार्य ने किसानों की जिंदगी में खुशियों के बड़े-बड़े पल लाकर, उन्हें खुशहाल बना दिया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480